

Fee Paid Rs.-----1100/-
 Vide Application No.-----2049
 Date-----17/12/22

अनुसूची 21-प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र सं० ----- 998/ 2022

आवेदन सं० ----- 2022

चुकि श्री Jainab Jabeen ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के निबंधित सव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि प्रमादित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे

सम्बंध अनुक्रमणियों में ता०-----5/10/20 12 से ता०-----4/7/2022 तक तलाशी की और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मुल्य	फसों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आवेदन में वर्णित संपत्ति का विवरण	Mouza :- <u>Hatia</u> Thana No. :- <u>248</u> Thana :- <u>Jaganathpur</u> Khata No. :- <u>98</u> Plot No. :- <u>1008</u> Sub Plot No. :- <u>1008 / part</u> Area :- <u>3.75 Decimal</u> Dist :- Ranchi					Deed No. :- <u>2415</u> Dated :- Ranchi :- <u>2018</u>		

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक- पत्र क दशा में लागू की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त कि इनका बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाणपत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- Mulo
19/12/2022
(पदनाम) :- T.C.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(पदनाम) :- [Signature]
(हस्ताक्षर) :- 19.12.22

कार्यालय :- अवर निबंधक, शहरी क्षेत्र सं.-2 (डोरण्डा प्रक्षेत्र), राँची।

तारीख :- 19/12/2022



[Signature]
अवर निबंधक, राँची

शहरी क्षेत्र-2, (डोरण्डा) प्रक्षेत्र
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

Date..... 19/12/2022

टिप्पणी :- Mulo 19/12/2022

(1) इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रतिलिपियां देखता चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी मुल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

[Signature] और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है और, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा, ना दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवमगों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

शापांक 1001 दिनांक 19/12/22

प्रमाण पत्र Faiyab Jabeen का सम्पत्ति अवमार
Manager Canara Bank RAH Desanda
Ranchi

[Signature]
R.O.
अवर निबंधक, राँची
शहरी क्षेत्र-2, (डोरण्डा) प्रक्षेत्र

Mulo 19/12/2022

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 6748 /2022

आवेदन सं०

चूकि श्री Jainab Jaboon ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के निबंधित सव्यवहारों और अभवारों का सविवरण प्रमाण-पत्रा दिया जाय,
(आवेदन में दिष्टे गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अबभारों के बारे में यही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2008 b से ता० 05/10/2012 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबभारों का पता चला है -

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निश्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रवर्षिट के प्रति निदेश		
				निश्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mungo - Hadia, P.S. Rajernathpur PS no-248 Khatra No-48 plot No-1008 - Sub plot No-1008 / Part-Area 03.75 deamal Dist- Anand					vide 100-2415 2018 Anand		

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

1. बंधक - पत्र की दशा में लाभ की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया -

हस्ताक्षर :- *[Signature]*
(पदनाम) :- *23/12/22*

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर :- *[Signature]*
(पदनाम) :-

कार्यालय :- **D.S.R OFFICE, RANCHI**

तारीख : *23/12/22*



[Signature]
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
23/12/22
23/12/22

टिप्पणी: इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

- (1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।
- (2) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।
- (3) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ना ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Memo No. : *1894* dt *23/12/22* of *ae* *MR* *Aineeb Jabeen* sent to *ae*
manager Caners Bank, Branch Ranchi

[Signature]
निबंधन पदाधिकारी
23/12/22
23/12/22

Fee Paid Rs. ----- 1100/-
 Vide Application No. ----- 2048
 Date ----- 17/12/22

अनुसूची 21-प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र सं० ----- 999/ 2022 आवेदन सं० ----- 2022

चुकि श्री Sri Vikalp Kumar Potewas ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के

निबंधित सव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे

सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 5/10/20 12 से ता० uptodate 2022 तक तलाशी की और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मुल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				5	6	7	8	9
1								
आवेदन में वर्णित सम्पत्ति का विवरण						Deed No. :- 9462		
						Dated :- 1982		
						Ranchi :-		
	Mouza :- Natia							
	Thana No. :- 248							
	Thana :- Jagannathpur							
	Khata No. :- 98							
	Plot No. :- 1008							
	Sub Plot No. :- X							
	Area :- 11.25 decimals							
	Dist :- Ranchi							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक- पत्र क दशा में लागू की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनका बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमारों का पता नहीं चला है।

- निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाणपत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- Mula

(पदनाम) :- T.C.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(पदनाम) :-

(हस्ताक्षर) :-

B
19.12.22

कार्यालय :- अवर निबंधक, शहरी क्षेत्र सं-2 (डोरण्डा प्रक्षेत्र), राँची।

तारीख :- 19/12/2022

Date..... 19/12/2022

टिप्पणी :-



[Signature]

अवर निबंधक, राँची

शहरी क्षेत्र-2 (डोरण्डा) प्रक्षेत्र
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Mula
19/12/22 19/12/2022

(1) इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं। यदी आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदी आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्ही संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रतिलिपियां देखता चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने नरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भुल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा बूढ़े गये संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है और, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा, ना बूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

ज्ञापक..... 1002

दिनांक 19/12/22

Sri Nikalp Kumar & others

का सम्पत्ति अवमार

प्रमाण पत्र Manager Canara Bank, R.A.H. Danda

Ranchi

का प्रेषित

[Signature]
R.O.

अवर निबंधक, राँची

शहरी क्षेत्र-2, (डोरण्डा) प्रक्षेत्र

Mula
19/12/2022

N-5001 vide Mb no 32053 dt 23/12/2021 - 2214818219 dt 16/12/21

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 6743 / 2022 आवेदन सं०
चूकि श्री Vikalp Kumar & others (Successor) ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के निबंधित सव्यवहारों और अभवारों का सविवरण प्रमाण-पत्रा दिया जाय.

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में यही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2008 to से ता० 05/10/2012 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है -

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निश्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रवृष्टि के प्रति निदेश		
				निश्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza-Hatia, Mo-98 plot no- Dist- Dehli	P.S. Hatia, PS no. 248 Khata - 1008 Area 011.25 decimal -				vide Dt no- Dist Dehli		9462 1982

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

- बंधक - पत्र की दशा में लाभ की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
- पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया -

हस्ताक्षर :- *Sikhan*
23/11/22

(पदनाम) :-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर :- *23/11/22*

(पदनाम) :-

कार्यालय :- **D.S.R OFFICE, RANCHI**

तारीख : *23/11/22*



23/11/22 *W*
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

23/11/22
27/11/22

टिप्पणी: इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हैं अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ना ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Memo No. : *1894* dt *23/11/22* & all the vikalp number letters sent to the
manager Carers Bank, Dossada Ranchi

23/11/22 *W*
निबंधन पदाधिकारी
23/11/22
27/11/22